

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. लक्ष्मी देवी पत्नी निहालसिंह जाति राजपूत निवासी बिहारीपुर तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 501/2025
जीसीएमएस नं0 2025/906

आदेश

दिनांक 18/08/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन के खाता संख्या 420 में प्रार्थीया का गलत दर्ज नाम "लक्ष्मी कंवर पत्नी निहालसिंह" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम " लक्ष्मी देवी पत्नी निहाल सिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना जिला सीकर

